न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, एटा

पीठासीन अधिकारी–राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02008

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1246/2026

(CNR No. UPET010042502026)

गौरव गुप्ता उम्र करीब 44 वर्ष पुत्र शशिप्रकाश गुप्ता, निवासी कैलाशगंज, कैलाश मन्दिर के पीछे, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा। ––––आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य –––––अभियोजक

मु०अ०सं0–235/2021
धारा–420,406 भा०द०सं०
थाना–कोतवाली नगर, जिला एटा।

10.07.2026

आवेदक/अभियुक्त **गौरव गुप्ता** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–235/2021 अन्तर्गत धारा–**420,406 भा०द०सं०**, थाना **कोतवाली नगर**, जिला **एटा** के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

सम्बन्धित आरोप–पत्र के सम्बन्ध में पत्रावली आहूत की गयी, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उसकी उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत किये गये हैं।

इस स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Srikant Upadhyay and Others vs. State of Bihar and Another** के सुसंगत अंश का उल्लेख किया जाना आवश्यक है:–

a very pertinent observations have been made with regard to the powers of the Court to grant anticipatory bail under Section 438 of CrPC. It has been observed that -"9. It is thus obvious from the catena of decisions dealing with bail that even while clarifying that arrest should be the last option and it should be restricted to cases where arrest is imperative in the facts and circumstances of a case, the consistent view is that the grant of anticipatory bail shall be restricted to exceptional circumstances. In other words, the position is that the power to grant anticipatory bail under Section 438, Cr. PC is an exceptional power and should be exercised only in exceptional cases and not as a matter of course.

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.07.10 14:53:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

स्वीकृत रूप से वर्तमान प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय द्वारा सम्मन निर्गत किये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में आवेदक/अभियुक्त सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकता है। इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना प्रकारान्तर से सम्बन्धित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण की श्रेणी में माना जायेगा, जो न्यायोचित नहीं है।

आदेश

उपरोक्त के अनुक्रम में आवेदक/अभियुक्त **गौरव गुप्ता** का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राकेश धर दुबे)

दिनॉकः 10.07.2026 सत्र न्यायाधीश, एटा।